न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी : **श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 39/2020

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. बचनाराम पुत्र थानाराम 2. बुधाराम पुत्र थानाराम जातियान बावरी निवासीगण खेड़ापा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर		1. थानाराम पुत्र गुणेशराम 2. प्रतापराम पुत्र थानाराम 3. रामदीन पुत्र थानाराम 4. सेवाराम पुत्र प्रतापराम 5. हंसराज पुत्र प्रतापराम 6. कमलेश पुत्र रामदीन 7. हेमराज पुत्र रामदीन नाबालिग जरिये कुदरती वली पिता रामदीन जातियान बावरी निवासीगण खेड़ापा तहसील बावड़ी जिला जोधपुर 8. उपपंजीयन अधिकारी भोपालगढ़ 9. तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः–

1. श्री मनोज कुमार जाखड़ अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–17/03/2021**

प्रार्थीगण वकील की तरफ से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत पेश किया तथा अपनी ओर से निवेदन किया कि ग्राम तोडियाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में भूमि खाता संख्या 91 जिसके खसरा नं. 228 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ , खसरा नं. 230 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 232 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 03 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि आई हुई है । उक्त वर्णित आराजी को आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। सबूत में नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 मय खसरा गिरदावरी व ट्रेस नक्शा संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के परदादा की खातेदारी कब्जासुदा जमीन रही है जिस पर प्रार्थीगण के दादा गुणेशराम काबिज होकर काश्त करते थे। जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 तक वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के दादा गुणेश पुत्र खुमा कौम बावरी के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदार के रूप में दर्ज थी। प्रार्थीगण के दादा का देहान्त हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता थानाराम को जरिये विरासत पुश्तैनी सम्पति में प्राप्त हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 थानाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण का पैदाईसी हक निहित हो चुके है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 संयुक्त रूप से सहुलियत अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

हिस्सा निहित है तथा माफिक हक हिस्सा अनुसार ही काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। यह है कि दिनांक 20.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 02 से 07 वादग्रस्त आराजी पर आये तथा कहा कि इस वर्ष प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने देंगे तथा ऐलानिया रूप से धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से हमने अप्रार्थी संख्या 01 से खसरा नं. 228 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा में से 07 बीघा 04 बिस्वा जमीन का एक दानविलेख दिनांक 23.06.2020 को ही अप्रार्थी सख्या 06 व 07 के हक में उपपंजीयक भोपालगढ़ में पंजीबद्ध करवा दिया है तथा खसरा नं. 232 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा में से 07 बीघा 04 बिस्वा जमीन का एक दान विलेख दिनांक 23.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 04 व 05 के हक में उपपंजीयक भोपालगढ़ से पंजीबद्ध करवा दिया है। इसलिए अब प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी पर काश्त नहीं करने देंगे। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को अपने दादा–परदादा से जरिये विरासत में प्राप्त हुई है, वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सहदायगी सम्पति है जिसमें प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा कानूनन निहित है। अगर अप्रार्थीगण ने उक्त दानपत्र की आड़ में वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने दिया एवं वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोकने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 की ओर से श्री राकेश कुमार रलिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 की सेवा चाकरी नही की है। अप्रार्थी संख्या 01 वृद्ध व्यक्ति है। पुश्तैनी भूमि प्राप्त करने के लिये परिवार के मुखिया की सेवा चाकरी करना भी हिन्दू अधिनियम में प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से 07 को दान की गयी भूमि उनके हिस्से की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि शेष पड़ी है। प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर 15 वर्षों से काश्त नही हो रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में किसी को काश्त नही करने देते है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति नही हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाने की कृपा करावे।

वकुलाय उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तोडियाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में भूमि खाता संख्या 91 जिसके खसरा नं. 228 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ , खसरा नं. 230 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 232 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 03 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण के दादा का देहान्त हो जाने के बाद वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पिता थानाराम को जरिये विरासत पुश्तैनी सम्पति में प्राप्त हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 01 थाना[illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण को अपनी पुश्तैनी सहदायगी सम्पति से महरूम नहीं रखा जा सकता तथा अप्रार्थी [illegible] अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का दानपत्र निष्पादित करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अ[illegible]र्थी संख्या 01 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का दानपत्र निष्पादित करवाया है तो वह स्वतः ही शून्य है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी [illegible]र्थीगण को अपने दादा–परदादा से जरिये विरासत में प्राप्त हुई है, वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पैतृक सहदायगी सम्पति है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

जिसमें प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा कानूनन निहित है। अगर अप्रार्थीगण ने उक्त दानपत्र की आड़ में वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को काश्त नहीं करने दिया एवं वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मूल वाद के विचारण के दौरान एवं अन्तिम निर्णय तक प्रार्थीगण के हक में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 की सेवा चाकरी नही की है। अप्रार्थी संख्या 01 वृद्ध व्यक्ति है। पुश्तैनी भूमि प्राप्त करने के लिये परिवार के मुखिया की सेवा चाकरी करना भी हिन्दू अधिनियम में प्रावधान है। अप्रार्थी संख्या 01 ने अप्रार्थी संख्या 02 से 07 को दान की गयी भूमि उनके हिस्से की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि शेष पड़ी है। प्रार्थीगण ने झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पर 15 वर्षो से काश्त नही हो रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमि में किसी को काश्त नही करने देते है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति नही हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर मनन किया जिसके आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 10.07.2020 को प्रार्थीगण के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को राजस्व मूल वाद विचारण दौरान एवं अंतिम निर्णय तक कन्फर्म इस आशय का किया जाता है कि ग्राम तोडियाणा तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में भूमि खाता संख्या 91 जिसके खसरा नं. 228 रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ , खसरा नं. 230 रकबा 07 बीघा 17 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा नं. 232 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कुल खसरा 03 कुल रकबा 28 बीघा 17 बिस्वा भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 17/03/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़
जिला–जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.07.05 18:20:06 IST
Reason: SelfAttested